दूरभाष/Tele.: 0177-2651 419, 2651 482
टैलीफैक्स/Telefax : 0177-2651 419

तार/Telegram : हिम-जनगणना/Him-Census
ई-मेल/E-mail : dco-him.rgi@censusindia.gov.in

भारत की जनगणना CENSUS OF INDIA 2011

सत्यमेव जयते

भारत सरकार, गृह मन्त्रालय
Government of India, Ministry of Home Affairs
निदेशालय जनगणना कार्य, हिमाचल प्रदेश
Directorate of Census Operations, Himachal Pradesh

भारत के महारजिस्ट्रार REGISTRAR GENERAL, INDIA

सी.जी.ओ. कम्पलैक्स, हिमाद्रि खण्ड, लौगवुड, शिमला-171 001 C.G.O. Complex, Himadri Block, Longwood, Shimla-171 001

फाइल संख्या -105/82-XXX दिनांक 21/4/2015

कोटेशन (quotation) के लिए आमन्त्रण

सेवा में,

....

विषय: जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचाल प्रदेश द्वारा भारत सरकार मुद्रणालय, टुटीकण्डी, शिमला - 4 से भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली तक लगभग 17.591 मीट्रिक टन पेपर के ढुलान एवं परिवहन के लिए **कोटेशन** (quotation) आमंत्रण के सम्बन्ध में |

महोदय,

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला, द्वारा भारत सरकार मुद्रणालय, टुटीकण्डी, शिमला के भण्डार गृहों से लगभग 17.591 मीट्रिक टन पेपर का ढुलान एवं परिवहन भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली में दो स्थानों पर किया जाना प्रस्तावित है, के लिए मुहर बन्द **कोटेशन** (quotation) आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण निम्नलिखित है |

(i) 130/170 ग्राम के आर्ट पेपर(10.278 मी.टन) को श्री के.पी.सिंह सा.अ.ग्रेड-II भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पुष्पा भवन, मदन गिरी, नई दिल्ली -110062 व

(ii) 70/80 ग्राम के पेपर(7.313 मी.टन) को मैसर्स अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड, डब्ल्यू -30, ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया फेज –II, नई दिल्ली-110020 के भण्डार गृहों में अनलोड एवं रखा जाना है|

2. <u>कोटेशन (quotation) बोली के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य है:</u>

(i) अग्रिम धन (EMD) के रूप में 2000/- रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट **"सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला"** के नाम से जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय अनिवार्य है |

(ii) चालू आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र |

(iii) ट्रांसपोर्ट कम्पनी/वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र |

(iv) बिक्री कर/पथ परिवहन कर तथा अन्य देय कर का प्रमाण पत्र |

(v) कम्पनी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र |

(vi) पैन कार्ड (PAN Card) की प्रतिलिपि |

3. **कोटेशन (quotation)** के अंतर्गत बोली मूल्य निर्धारित प्रपत्र **(संलग्न-क)** पर प्रेषित करना अनिवार्य है|

4. **कोटेशन (quotation)** उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लौंगवुड शिमला -1 के नाम दिनांक 01.05.2015 प्रात 11:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में पहुँच जानी चाहिए |

5. **कोटेशन (quotation)** दिनांक 01.05.2015 को सायं 1:00 बजे **कोटेशन (quotation)** कमेटी द्वारा खोली जाएगी| सभी **कोटेशन (quotation)** जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लौंगवुड शिमला -1 में खोली जाऐंगी| जिसमें सभी दर कोट करने वाला तय समय अनुसार भाग ले सकतें है |समीक्षा कमेटी का निर्णय अन्तिम माना जाएगा |

6. यह **कोटेशन (quotation)** एवं **कोटेशन (quotation)** आमंत्रण प्रारुप भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, गृह मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की वेबसाइट https://www.censusindia.gov.in पर दिनांक 21-04-2015 से 01-05-2015, 11.00 बजे तक डाउनलोड़ (Download) की जा सकती है इसके अतिरिक्त **कोटेशन (quotation)** एवं **कोटेशन (quotation)** आमंत्रण का प्रारुप इस कार्यालय से दिनांक 21-04-2015 से 01-05-2015, 11.00 बजे तक निशुल्क प्राप्त की जा सकती है |

7. जिस **कोटेशन (quotation)** के साथ अग्रिम धन (EMD) नहीं होगा उन पर विचार नहीं किया जाएगा | अग्रिम धन के किसी पूर्व निक्षेप के अन्तरण के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा |

8. असफल दर कोट करने वाले की अग्रिम धन राशि (EMD) वापस कर दी जाएगी जिस पर कोई भी ब्याज देय नही होगा |

9. **कोटेशन (quotation)** स्वीकार कर लिए जाने पर दर कोट करने वाले को मु.10,000/रुपये प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) के रुप मे कार्य के सफल निष्पादन के लिए डिमांड ड्राफ्ट के जरिए **"सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला"** के नाम से से जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय अनिवार्य है, अनुबन्ध होने से पहले जमा करवाना होगा | यह बाद में कार्य के सफल पूर्वक पूर्ण करने पर वापिस किया जाएगा |

10. जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश **कोटेशन (quotation)** में निहित किसी भी शर्त या उसके हिस्से मे **कोटेशन (quotation)** के प्राप्ति की अन्तिम तिथि से पहले परिवर्तन(Amendments) करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखते है।

11. उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश किसी भी **कोटेशन (quotation)** को या सही **कोटेशन (quotation)** को कोई कारण बताए बिना स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखते है

12. **कोटेशन (quotation) की अन्य निबंधन और शर्तें इस प्रकार हैं :**

i. भारतीय करेंसी में प्रति क्विटल सपाटदर कोट की जानी चाहिए। जो की अंको एवं शब्दों, दोनो में अवश्य लिखी जाए।

ii. दर प्रति क्विंटल में ढुलान,लोडिंग,अनलोडिंग, भण्डार में चट्टा लगाना, मजदूरी, बीमा, तथा अन्य देय कर सहित एकमुश्त राशि कोट करें।

iii. दर कोट करने वाला, **कोटेशन (quotation)** मूल्य कोट एवं प्रेषित करने से पहले परिवहन एवं ढुलान किए जाने वाले पेपर का साईट (Site) पर जाकर भौतिक रूप से पूर्ण निरीक्षण करें।

iv. ढुलान किए जाने वाले पेपर सामग्री का बीमा (इंशोरेंस) करना अनिवार्य है जिसकी सम्भावित कीमत लगभग 12.00 लाख रुपये है।

v. उपरोक्त पेपर सामग्री (17.591 मी.टन लगभग) को भारत सरकार मुद्राणालय, टुटीकण्डी, शिमला के भण्डार गृहों से उठाने लोड करने एवं परिवहन द्वारा निर्धारित सामग्री को दिल्ली में दो स्थानों पर पहुंचाना है पहले श्री के. पी. सिंह सा.अ. ग्रेड-II, मुद्रण प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पुष्पा भवन, मदन गिरी, नई दिल्ली-110062 व दूसरे मैसर्स अरावली प्रिटर्स एंड पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड, डब्ल्यू -30 ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज –II नई दिल्ली-110020 के भण्डार गृहों में अनलोड कर रखवाना अपेक्षित है।

vi. दर कोट करने वाले को उपरोक्त पेपर सामग्री एक ही फेरें (Trip) में अनिवार्य रुप से दो ट्रकों द्वारा परिवहन कर दिल्ली में निर्धारित दोनों स्थानों पर निर्धारित सामग्री पहुंचाना अपेक्षित है।

vii. दर कोट करने वाले से लगभग 17.59 मी.टन लगभग लोडिंग अनलोडिंग एवं निर्धारित स्थानों पर लाने ले जाने की अपेक्षा की जाएगी। यह मात्रा केवल अनुमानित है और इसका आशय केवल जानकारी देना है तथा यह उस भार के बारे में कोई गारन्टी नहीं है जिसे संविदा की अवधि के दौरान लाना ले जाना पड़ सकता है।

viii. पेपर सामग्री का वजन करना अपेक्षित है। दर कोट करने वाला पेपर के वजन के लिए उतरदायी होगा।

ix. दर कोट करने वाले को सामग्री के लोडिंग और अनलोडिंग एवं भण्डार गृहों में अनलोड कर रखवाने हेतु आवश्यक मजदूरों / श्रमिकों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

x. दर कोट करने वाला सड़क से परेषणों की सही बुकिंग और नई दिल्ली में उपरोक्त दोनों स्थानों पर पैकजों के सही परिदान के लिए जिम्मेदार होगा और किसी भी ऐसे व्यय के लिए दायी होगा जो गलत बुकिंग और या गलत परिदान के

परिणास्वरुप करना पडे | वह किन्ही परेषणों को उसकी अभिरक्षा में रहते समय हुई किसी हानि या टूटफूट या नुकसान के लिए तथा डेमरेज प्रभारों के लिए यदि व उसकी त्रुटिक कारण हुए हों, दायी होगा |

xi. अग्रिम धन राशि व प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) पर कोई ब्याज देय नही होगा |

xii. सफल दर कोट करने वाले द्वारा हस्ताक्षार किए जाने वाले करार(Agreement) को विधि के अधीन समुचित मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प पत्र पर निष्पादित किया जाएगा और स्टाम्प शुल्क चयन किए गए दर कोट करने वाले के द्वारा ही वहन किया जाएगा |

xiii. सम्पूर्ण माल को अनुबंध के 15 दिन के अंदर निर्धारित स्थानो पर डिलीवर करना होगा | किन्तु यह अवधि दरक कोट करने वाले के लिखित रुप से सूचना देने पर एक सप्ताह के लिए बढाई जा सकती है |

xiv. दर कोट करने वाले प्रस्थापना की **कोटेशन** (quotation) में विनिर्दिष्ट तारीख तक या ऐसी अगली तारीख तक खुला रखेगा जिस तक वह **कोटेशन** (quotation) को स्वीकार करने के लिए खुला रखने के लिए बाद में सहमत हो जाए | यह समझ लिया गया है कि दर कोट करने वाले द्वारा यह अनुबन्ध किए जाने पर कि **कोटेशन** (quotation) प्रस्तुत करने के पश्चात् वह न तो अपने प्रस्ताव से पीछे हटेगा और न ही उसके निबन्धों और शर्तों को उपान्तरित करेगा उसे **कोटेशन** (quotation) दस्तावेज जारी की जा रही है और **कोटेशन** (quotation) प्रस्तुत करनें दी जा रही है | यदि दर पूर्वगामी अनुबंध का पालन और अनुपालन करनें में असफल रहेगा तो पूर्वोक्त अग्रिम धन सरकार को समपहृत(Forfeited) हो जाएगा|

xv. यदि दर कोट करने वाले के द्वारा की गई प्रस्थापना स्वीकार नहीं की जाएगी तो दर कोट करने वाले के द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन उप-निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, शिमला को यथा रीति आवेदन किए जाने पर उसे वापस कर दिया जाएगा |

xvi. यदि संविदा किसी भागीदारी फर्म से की जाती है तो करार पर उस फर्म के सभी भागीदारों को हस्ताक्षर करने होंगे | यदि संविदा किसी लिमिटेड कम्पनी से की जाती है तो उस कम्पनी को करार, अपने संगम अनुच्छेदों के अनुसार निष्पादित करना होगा|

xvii. सफल दर कोट करने वाले की संविदा के निबंधनों को सम्यक रूप से पूरा किए जाने और निष्ठापूर्ण निष्पादित किए जाने के लिए अपने खर्चे पर एक करार (Agreement) भी निष्पादित करना होगा |

xviii. दर कोट करने वाले द्वारा **कोटेशन** (quotation) प्रस्तुत करने के विहित प्रारूप में किसी भी दशा में कोई परिवर्तन, परिवर्धन या विकृति नहीं करेगा | यदि कोई दर कोट करने वाला अपनी **कोटेशन** (quotation) में कोई पृथक अनुबन्ध करना चाहता है तो उसे अनुबन्ध का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए अलग एक पत्र लिख कर ऐसा करना चाहिए और उसे वह पत्र अपनी **कोटेशन** (quotation) में संलग्न करना चाहिए |

xix. **कोटेशन** (quotation) के साथ संलन्न किये जाने वाले समस्त दस्तावेज एवं उनके प्रत्येक पृष्ठ फर्म के प्रतिनिधि द्वारा स्वसत्यापित (Self Certified) होने चाहिए |

xx. सफल दर कोट करने वाले को सौंपे गए कार्य को वह किसी भी अन्य व्यक्ति/ फर्म अथवा संगठन को दर-किरायदारी (Subletting) नहीं कर सकते |

xxi. सूचना/ स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो वह श्री आशीष चौहान, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाद्री खण्ड, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लौंगवुड शिमला -1, से व्यक्तिगत रुप से या दूरभाष **(0177-2651419)** पर सम्पर्क कर प्राप्त कर सकतें है|

xxii. निदेशालय किसी भी कारण वश **कोटेशन** (quotation) के अप्राप्त या देरी से प्राप्त होने पर जिम्मेवार नहीं होगा |

xxiii. सफल दरकार को सौंपे गए कार्य की अदायगी दो किस्तों में की जाएगी पचास प्रतिशत अदायगी लोडिंग उपरांत दी जाएगी बकाया पचास प्रतिशत राशि सामान के निर्धारित स्थानों पर सुरक्षित पहुंचाने एवं कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरांत दी जाएगी |

xxiv. संविदा कार्य प्रदान करने का अन्तिम निर्णय सबसे कम कोट की गई दर के आधार पर होगा निदेशालय यह कार्य अन्य दर कोट करने वाले जो की एल-1(L-1) निविदाकार की दर को मिलान/मेल (Match) करेंगे को प्रस्ताव का अवसर दे सकता है सभी सफल दर कोट करने वाला जो की एल - 1(L-1) दर कोट करने वालों की दर से मिलान/मेल (Match) करेंगे का निदेशालय के साथ इस कार्य हेतु नामिकायन (Empanelled) किया जाएगा | जबकी एल -1(L-1) दर कोट करने वाला को प्राथमिकता दी जाएगी और सिर्फ एल -1 (L-1) दर कोट करने वाले के निष्पादन न करने पर अन्य दर कोट करने वालों पर विचार किया जाएगा |

xxv. निदेशालय दर कोट करने वाला जिसका प्रस्ताव कमेटी द्वारा मुल्याकंन के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त होगा, के साथ बातचीत (Negotiate) करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है| यदि निदेशालय प्रथम स्थान प्राप्त दर कोट करने वाला से अन्तिम करार (Agreement) करने में असफल होता है तो निदेशालय अगला स्थान प्राप्त दर कोट करने वाला, और इसी तरह से अगले दर कोट करने वाले से, जब तक की अनुबन्ध अंतिम रुप से नहीं हो जाता, अनुबन्ध करने की आगामी कार्यवाही जारी रखेगा|

भवदीय,

उपनिदेशक,
जनगणना कार्य निदेशालय,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, हिमाद्री खण्ड, लौंगवूड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

संलग्न क

कोटेशन (quotation) के लिए निर्धारित प्रपत्र

प्रेषक:

....

....

....

सेवा में,

उपनिदेशक,
जनगणना कार्य निदेशालय,
भारत सरकार, गृह मंत्रालय,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, हिमाद्री खण्ड, लौंगवुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001

महोदय,

उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला के पत्र संख्या -105/82-XXIX दिनांक 21-04-2015, के प्रति निर्देश से, मैं उपनिदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला को(जो भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से कार्य कर रहें हैं) संदर्भित पेपर सामग्री के ढुलान एवं परिवहन हेतु निम्नलिखित दर कोट करता हूं

क्रम संख्या	कार्य की मद	अनुमानित भार	दर प्रति क्विंटल (रुपया/पैसे) अंको में	दर प्रति क्विंटल (रुपया/पैसे) शब्दों में
1.	भारत सरकार मुद्राणालय, टुटीकण्डी, शिमला के भण्डार गृहों से उठाने/लोड करने एवं परिवहन द्वारा दिल्ली में दो स्थानों पर पहले श्री के. पी. सिंह सा.अ.ग्रेड-II, मुद्रण प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पुष्पा भवन, मदन गिरी, नई दिल्ली-110062 व दूसरा मैसर्स अरावली प्रिटर्स एंड पब्लिसर्स प्राइवेट लिमिटेड, डब्ल्यू -30 ओखला इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेज –II नई दिल्ली-110020 के भण्डार गृहों में अनलोड कर रखवाना अपेक्षित है		17.591 मीट्रिक टन लगभग		

नोट: दर प्रति क्विंटल में ढुलान,लोडिंग, अनलोडिंग,भण्डार में चट्टा लगाना, मजदूरी, बीमा, तथा सभी अन्य देय कर सहित एकमुश्त कोट करें |

(I) मैनें दर कोट करने वालों के लिए अनुदेशों और संविदा की साधारण शर्तो को तथा उस पत्र में जिसके प्रत्युत्तर में यह **कोटेशन (quotation)** प्रस्तुत की जा रही है उल्लिखित निबंधनों और शर्तो के अतिरिक्त करार के प्ररुप में अंतर्विष्ट सभी निंबधनों और शर्तो को भी ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ लिया है और में उपयुक्त दस्तावेजों में अंतर्विष्ट उपबन्धों से आबध्द होने के लिए सहमत हूँ |

(II) मै इस प्रस्थापना को स्वीकृति के लिए .... तक जिसमें .... भी सम्मिलित है, खुली रखने के लिए सहमत हूं |

(III) मैने यह बात समझ ली है की मेरे इस अनुबंध के प्रतिफलस्वरुप कि **कोटेशन (quotation)** प्रस्तुत करने के पश्चात मै तारीख .... तक न तो अपनी प्रस्थापना से पीछे हटूंगा और न ही उसके निबंधनों और शर्तो को उपांतरित करुंगा मुझे **कोटेशन (quotation)** दस्तावेजें जारी की गई है और **कोटेशन (quotation)** प्रस्तुत करने जा रही है| और यदि मै पूर्वगामी अनुंबध का पालन और अनुपालन करने में असफल रहूंगा तो अग्रिम धन सरकार को समपहृत हो जाएगा |

दिनांक :..................... * दर कोट करने वाले का नाम :..

स्थान :...................... * दर कोट करने वाले के हस्ताक्षर..

*यदि दर कोट करने वाला व्यक्ति है तो उस **कोटेशन (quotation)** पर उसके स्वयं या अपने सम्यक रुप से नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए| यदि वह भागीदारी फर्म है तो **कोटेशन (quotation)** दस्तावेंजों पर या तो सब भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या उनके सम्यक रुप से नियत ऐसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसे, संविदा से संबन्धित सब बातों के बारे में, जिनके अन्तर्गत माध्यस्थम खंण्ड भी है सब भागीदारोंको आबध्दकरने का स्पष्ट प्राधिकार है | यदि दर कोट करने वाला लिमिटेड कम्पनी है तो **कोटेशन (quotation)** दस्तावेंजों पर ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जो अपने हस्ताक्षरसे कम्पनी को आबध्द करा सकता हो | इस सम्बंध्द में "**कोटेशन (quotation)** के लिए आमन्त्रण" के पैरा 11 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है |